प्रेस नोटः—

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक—13.05.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल— 27 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल— 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संचित सोनकर पुत्र धोबी नि0 अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—99/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शत्रुधन सोनकर पुत्र ननकू नि0 महुवा डीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैघ कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—181/19, 02. रतिराम निवासी महुवा डीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0— 182/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त—कन्हैया पुत्र श्री चन्द्र निवासी दानव पुरवा पूरे परसा गोड़री थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 12.05.2019 को वादी सतेन्द्र कुमार सिंह नि0 रामकरन सिंह निवासी परसा गोड़री थाना कर्नलगंज द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को अपने घर में चोरी करते समय पकड़कर थाना को0 करनैलगंज को सुपुर्द किया गया था। जिसमें को करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त के कब्जे से 907 रू0, 01 अदद डिब्बी में पायल व 01 अदद डिब्बी में नाक की कील बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0— 192/19, धारा 457.380 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।